means by chance. They have not come by chance. They have a right to be here.

An Hon. Member: They have come by chance. (*Interruption*).

Shri B. S. Murthy: We protest against that. Withdraw that. (*Interruption*).

Mr. Deputy-Speaker: Shall I adjourn the whole House?

Some Hon. Members: Yes.

Mr. Deputy-Speaker: No, no. Hon. Members will maintain order in the House. Let there be no exchange of hot words. I do not think he said anything that was unparliamentary, though it was unnecessary. One hon. Member need not say that another came by chance. He comes through the same door as the other hon. Member.

श्री अलगूराय शास्त्री : अगर आप आज्ञा दें तो मैं अपनी परिस्थिति साफ कर दूं । श्रीमती सुचेता जी को मेरे कथन पर भ्रम हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ यह था कि जो लोग पार्लियामेंटरी लाइफ से वाकिफ हैं और पहले से मेम्बरी करते रहे हैं उनके व्यवहार में और जो पहले पहल यहां पर चले आए हैं, उनके व्यवहार में अन्तर होता है और उनको ट्रेनिंग लेनी चाहिये । अगर वे लोग कुछ मिस्बिहेव करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिये। इतना ही मेरे कहने का मतलब है । इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वह बोट से चुन कर यहां पर आए हैं और चुनाव में अपने विरोधी को हरा कर आए हैं, ऐसे ही यहां पर और लोग भी चुन कर आए हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: Very well. Mr. Dabhi.

Shri Thanu Pillai (Tirunelveli): Are we to sit here and not know anything? I would like to know what happened here.

Mr. Deputy-Speaker: Mr. Dabhi.

Shri Dabhi (Kaira North): A Bill dealing with the same subject was discussed on the floor of the House during the last session and the Government stated that they would themselves bring forward a Bill. In the circumstances I do not want to move my motion.

Mr. Deputy-Speaker: Very well. Shri Pataskar. I find the hon. Member is absent.

PUNISHMENT FOR ADULTERATION OF FOOD STUFFS BILL

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur Central): I beg to move:

> "That the Bill to provide for punishment of those found guilty of adulteration of food stuffs, be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह जो बिल है यह खाद्य वस्तुओं में जो मिलावट की जाती है उसके लिए मेरा सुझाव है कि पार्लियामेंट को एक ऐसा बिल पास करना चाहिये जिससे इस तरह के अपराध करने वाले लोगों को हम अधिक से अधिक सजा दे सकें । मेरे इस बिल के पेश करने का अभिप्राय: यही है ।

श्री झुनझुनवाला : जरा थोड़ी देर सबर कीजिये, बिल का नाम क्या है ?

श्री झुनझुनवाला : जरा थोड़ी देर सबर कीजिये, आपको मालूम हो जायेगा ।

Mr. Deputy-Speaker: Shall I give five minutes to hon. Members to exhaust all that they have to talk?

Shri Syed Ahmed (Hoshangabad): We ought to know what we are discussing.

Mr. Deputy-Speaker: Why should he not wait in patience? He is talking in Hindi.

श्री झुनझुनवाला : तो मैं यह कह रहा था कि खास करके खाद्य पदार्थों में आज जो मिलावट होती है, उसको रोकने के लिये यहां से यह बिल पास होना चाहिये कि जो ऐसा काम करें उनको अधिक से अधिक सजा दी जाय । पहले

[श्री झुनझुनवाला]

यह कानून था कि इस तरह का कानून केवल स्टेट गवर्नमेंट ही पास कर सकती थी, परन्तु इस विषय पर विधान परिषद् में काफी बहस हुई और उसके बाद यह तय पाया गया कि यह चीज ऐसी है कि जिसको एक सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिया जाय और फिर यह सेंट्रल सब्जेक्ट बना दिया गया। उसी समय जब यह सेंट्रल सबजेक्ट बना दिया गया, उसी समय मैंने यह बिल यहां पर पेश किया था। इस बिल को आज पेश किए हुए कम से कम ६ वर्ष हो गए और जब मैंने इस बिल को पेश किया तो हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमको पत्र लिखा कि आपने जो यह बिल पेश किया है इसको कृपा करके विदड्रा कर लें क्योंकि हमारी गवर्नमेंट इस किस्म का एक कम्प्रीहेन्सिव बिल लाने वाली है। उन्होंने यह भी लिखा कि इस प्रकार का कानून यद्यपि बहुत सी स्टेटों में हैं, परन्तु उनके ऊपर कोई काररवाई नहीं होती, केवल वह कानून ही बना कर रख दिये गए हैं, अतएव यदि इस प्रकार का यह बिल पास भी हो जाय तो भी जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट्स उन सब कानूनों को कार्य रूप में परिणत नहीं करेंगी, तब तक उससे कोई लाभ नहीं होगा। उस पत्र के जवाब में मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखा कि आपका कहना बहुत ठीक है, मैं इस बिल को विदड्रा कर लूंगा। मैं जो बिल लाया हूं, वह बहुत छोटा सा है, परन्तु मैं पार्लियामेंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितने भी आप स्वास्थ्य सुधार के काम करते हैं वह सारे आपके काम बेकार हो जाते हैं जब तक कि लोगों को खाद्य पदार्थ शुद्ध नहीं मिलते और यदि खाद्य पदार्थ आपको मिलावटी मिलते हैं तो मैं कहूंगा कि आप जितने भी हस्पताल बनाते हैं, आयुर्वेद के हस्पताल स्थापित करते हैं अथवा और जो भी अन्य २ कामों में पैसा खर्चते हैं, वह सब पैसा बेकार जाता है, और उनसे कोई लाभ नहीं होता। आज हालत यह है कि दिल्ली शहर में आप कहीं भी चले जाइये, आपको कोई भी चीज बगैर मिलावट के मिलना मुश्किल है।

हमारे मित्र पंडित ठाकुर दास जी भार्गव बहुत दिनों से इस चीज के ऊपर कह रहे हैं कि वेजीटेबुल घी, जो कि घी के मिलावट में काम आता है, उससे कितना भारी नुकसान हो रहा है हम लोगों के स्वास्थ्य पर कितना भयानक असर होता है, इसका अनुभव कोई नहीं कर सकता। इसका अनुभव विशेषकर वही लोग कर सकते हैं जो कि केवल वेजीटेरियन हैं। जब भी इस बात को कहा जाता है कि यह चीज जो है वह बहुत बुरी है तो उसके जवाब में यह कहा जाता है कि नहीं, हम लोग तो इस चीज का व्यवहार बहुत दिन से कर रहे हैं और इससे कोई नुक्सान नहीं हुआ। परन्तु वे इस बात को नहीं देखते कि वे इस चीज को कितनी मात्रा में व्यवहार करते हैं और वे कौन कौन से दूसरे पदार्थ खाते हैं जिन पदार्थों के साथ इस चीज का नुक्सान उतना नहीं हो सकता है। शायद न भी हो। लेकिन जो लोग प्योर वेजिटेरियन हैं, केवल निरामिषाहारी हैं, अगर देखा जाय तो उन लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर बड़ा भारी नुक्सान हुआ है।

इसी तरह से आप देखिये कि आटा है, आटे में हर प्रकार की बदमाशी करके जो लोग मिलावटें करते हैं उसका क्या असर पड़ता है। चूना भी मिला देते हैं और भी चीजें मिलाते हैं। जब वह चीजें बाजार में जाती हैं और वही चीजें जब लोगों को खाने को दी जाती हैं, वही चीजें बीमार आदमियों को खाने को दी जाती हैं। ऐसी हालत में मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछूंगा कि ....

एक माननीय सदस्य: कहां हैं मंत्री जी ?

श्री झुनझुनवाला : स्वास्थ्य मंत्री जी तो नहीं हैं मगर पार्लियामेंट्री एफेअर्स के मंत्री जी हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि वे तो दवा देते हैं बीमारों को और आटा के बदले में चूना खाने को देते हैं तो क्या उससे नुक्सान नहीं पहुंचता ? आप इसके लिये क्या कर रहे हैं ? आप कृपा करके खड़े हो कर जवाब दे दीजिये, तो फिर मैं आगे चलूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : सारी बात पूछिये । बहुत उचित प्रबन्ध हैं । गवर्नमेन्ट हमेशा उचित प्रबन्ध करती हैं, आप इसको समझ लीजिये । जो भी सजेशन्स आते हैं मेम्बर्स की तरफ से, उन पर गवर्नमेंट काफी गौर करती हैं । और जो भी ऐसी बात होती हैं जो कि गौर करने के लायक होती हैं, उस पर गवर्नमेंट पूरा ध्यान देती हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members should look at me and talk.

श्री झुनझुनवाला : माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो भी बातें कही जाती हैं, गवर्नमेन्ट उन पर ध्यान देती हैं ।

Mr. Deputy-Speaker: Hon. Members talk so loud that they do not hear what I say. They should address the Chair.

Shri Jhunjhunwala: I am addressing the Minister for Parliamentary Affairs through the Chair as to what he has done. We have been asking for the last seven years. कि इन चीजों में मिलावट हो रही है

एक माननीय सदस्य : कौन मिलाता हैं?

श्री झुनझुनवाला : आप भी याने जिन सदस्य ने पूछा शायद वे भी मिलाते होंगे । बाजार में मिलता हैं, और बाजार में वह चीज खाने को मिलती हैं, कौन मिलाता हैं इसके नाम तो हमारे पार्लियामेंट्री एफेअर्स के मंत्री जो कहते हैं कि गवर्नमेंट को सब मालूम हैं, वह इसको देखेंगे । आप इसको बढ़ा दीजिये, शिकायत कीजिये, उस शिकायत को दूर करने का काम वह करेंगे । तो कौन मिलाता हैं यह काम तो उनके देखने का हैं । उनसे पूछिये कि कौन मिलाता हैं । जो भी मिलाता हैं उनके ऊपर सरकार ने क्या कार्रवाई की । इसकी बात आप मुझ से क्यों पूछते हैं । मैं तो जब खाने के लिये कोई चीज लेने जाता हूं तो वहां पर ऐसी ही मिलावटी चीजें मिलती हैं । मैं यह कहना चाहता हूं । जैसा मैं कह रहा था, आटा लीजिये, घी लीजिये, हल्दी लीजिये । हल्दी लेने के लिये यदि आप बाजार में जायेंगे तो वहां पर उसके साथ में पीला रंग मिला हुआ मिलता हैं । इसी तरह से मिर्चा लीजिये । मैं आपको चांदनी चौक में दिखला दूंगा कि वहां पर पिसा हुआ मिर्चा मिलता हैं । उसमें लाल रंग मिला हुआ रहता हैं ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़-पूर्व व जिला बलिया—पश्चिम) : धन्य हैं बनिया समाज और क्या कहूं ?

श्री झुनझुनवाला : इसके बारे में मंत्री महोदय कुछ बतलायेंगे ?

श्री सत्य नारायण सिन्हा : मंत्री की बात तो सुन लीजिये । मेम्बर साहब को मालूम होगा कि फूड एंडल्टरेशन बिल हाउस में लाया गया गवर्नमेन्ट की तरफ से । वह सेलेक्ट कमेटी को रेफर हुआ । सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हाउस में आई हुई हैं । दिक्कत यह हुई कि पिछले सेशन में वह समय के अभाव से नहीं आ सका। इस बार भी हमने बहुत कोशिश की, बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी के सामने भी वह आया, लेकिन हाउस के सामने नहीं आ सका । इन सब बातों का ध्यान करते हुए अगर मेम्बर साहब थोड़ा धीरज रक्खें तो अगले सेशन में वह बिल इस हाउस में आयेगा । वह सेलेक्ट कमेटी के सामने गया, सेलेक्ट कमेटी का फैसला भी हो चुका हैं । आइन्दा अधिवेशन में वह अवश्य आएगा ।

12 Noon

श्री झुनझुनवाला : गवर्नमेंट ने इस समूचे बिल को अच्छी तरह से तैयार कर लिया हैं, लेकिन मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जैसा कि हमारी स्वास्थ्य मंत्रिणी जी ने कहा था .....

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. What I wanted to say is—I am glad that the hon. Minister has come here in time—that hon. Members and Ministers must be here in their seats. It is no good entrusting the entire

work of the Cabinet to the Minister for Parliamentary Affairs. How can he be expected to answer everything. It is a very embarrassing situation. I have been noticing almost every day that the Ministers are not there—not all, but some of them. They should anticipate the type of work in the House, be in their seats, either themselves or through their Deputy Ministers and be ready to answer. Otherwise, all the proceedings here will become useless.

श्री झुनझुनवाला : तो मैं यह कह रहा था कि यह बात ठीक है कि गवर्नमेन्ट की तरफ से बिल लाया गया है और उस बिल को हमने देखा भी है। परन्तु स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह कहा था कि कानून बना देना ठीक है और बन भी जायेगा। स्टेट्स में कानून बने हुए हैं और जिस वक्त मैंने इस बिल को पेश किया था उस वक्त दिल्ली स्टेट सेन्ट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्टर होती थी, तब मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछा था कि खैर, अन्य स्टेट्स तो करती हैं, यह दूसरी बात है, लेकिन दिल्ली में इसके बारे में क्या हो रहा है वहां तो सब यहां की मंत्रिणी जी के हाथ में है ? क्या बातें हो रही हैं, क्यों नहीं यहां पर इस बुराई को दूर किया जाता है ? आज हम लोग दौड़ते हैं चाइना की तरफ, हम लोग दौड़ते हैं रशिया की तरफ, वर्ल्ड कान्फरेन्सें करते हैं इन सब में हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी बेहद व्यस्त रहती हैं इसके लिये वे हमारी धन्यवाद की पात्रणी हैं। परन्तु मेरा यह सुझाव है कि जितना कि इन सब की दौड़धूप में समय और धन खर्च करती हैं यह सब छोड़ कर यदि सप्ताह में एक बार एक घंटे के लिये इन दुकानों पर चली जांय तो बहुत कुछ बुराई दूर होगी और अधिक लाभ होगा। परन्तु जितना भी काम यहां पर होता है, जितनी भी रकम आज यहां पर स्वास्थ्य सुधार और दवाओं में लगती है, यदि जो चीज बाजार से लाई जाय और जो हस्पताल में खाने के पदार्थ पहुंचाए जाते हैं, अगर वही इस्तेमाल होते रहें तो मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछूंगा कि उनकी दवाओं का क्या असर होगा मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर बनावटी चीजें न मिलें इसके लिये उन्होंने क्या किया है ? यह तो सेंट्रल सब्जेक्ट था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में था, उपाध्यक्ष महोदय ? वेजीटेबुल घी को प्रोत्साहन देकर तो हमारी सरकार मिलावटी घी बिकवाने में सहायता करती है।

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

यदि आप यह कह दें कि नहीं, जितना भी हो सकता था, हम लोगों ने पूरा प्रयत्न कर लिया, तो मैं आप से कहना चाहता हूं कि मेरा यह बिल लाना ही व्यर्थ हुआ और आप जो बिल यहां पर लाए हैं वह बिल भी, जिस पर पांच, सात दिन पार्लियामेंट का समय लेंगे, बिल्कुल बेकार हुआ। आप यह कह दीजिये कि अभी तो जो कुछ हुआ है, जिस तरह की चीजें मिलाई जा रही हैं, उनको दूर करने के लिये, इस दोष को दूर करने के लिये हम लोगों ने बहुत चेष्टा कर ली, कानून तथा सत्ता के द्वारा जो हो सकता था, सब कर लिया, इससे अधिक नहीं हो सकता है, तब फिर आप यह बिल क्यों लाते हैं ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि बिल तो हमारे यहां बहुत आते हैं। एक्ट भी पास हो जाते हैं परन्तु आप ने उसका इम्प्लिमेन्टेशन क्या किया ? और यदि यह इम्प्लिमेन्ट नहीं होते हैं तो यह सब चीजें जो कि आप कर रहे हैं, दवाओं का प्रबन्ध कर रहे हैं, उससे आखिर क्या लाभ होता है।

मैं इसके ऊपर विशेष नहीं कहना चाहता। जब पहले मैंने यह बिल पेश किया था उस समय स्वास्थ्य मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा था कि तुम यह बिल क्यों पेश करते हो, वे खुद इस दोष को जल्दी से जल्दी दूर करना चाहती हैं। मैंने उस समय उस पत्र के जवाब में लिखा था कि उनका यह कहना ठीक है परन्तु उन्होंने दिल्ली शहर में क्या किया। तो मैं मंत्री जी से सीधा सवाल यह पूछता हूं कि वे तो अधिकार में थी आज तक उन्होंने क्या किया और यदि उन्होंने इस दोष को दूर करने के

लिये कोई कार्रवाई नहीं की तो क्यों नहीं की और अगर आप करके थक गई हों तो कह दीजिये कि वे करके थक गई। अगर ऐसी बात है तो किसी बिल का लाना और इस हाउस का पांच सात दिन का समय बेकार खर्च करने से क्या लाभ है, और इस पर रूपया खर्च करना बेकार होगा।

Mr. Chairman: I do not know what the position is. Has the hon. Member moved his motion or not? I am afraid he has not.

श्री झुनझुनवाला : मैं इस बिल को पेश करता हूं।

The Minister of Health: (Rajkumari Amrit Kaur): I would like to intervene, if I may, at this stage.

Mr. Chairman: Certainly. Let me first place the motion before the House. The motion has been moved. Motion moved:

> "That the Bill to provide for punishment of those found guilty of adulteration of foodstuffs, be taken into consideration."

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृतकौर) : जनाब, आनरेबल मेम्बर ने जो कुछ इस मसले के बारे में कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। यह एक ऐसी बात है कि जिससे लोगों की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचता है क्योंकि अगर हमको खुराक की शुद्ध चीजें नहीं मिलेंगी तो हम चाहे कितनी भी दवाएं काम में लायें हमारा काम कभी नहीं बन सकता। तो इससे तो मैं बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन जब तक मेरे हाथ में सेन्ट्रल कानून बनाने की शक्ति नहीं थी, तब तक इस चीज को मैं हाउस के सामने नहीं ला सकी। लेकिन मैं हमेशा दो दो तीन तीन महीने बाद स्टेट मिनिस्टर्स को लिखा करती थी कि आप कुछ ऐसी मैशीनरी बनाएं कि जिससे फूड एडल्टरेशन बन्द हो और जो बदनीयतदार लोग मिलावट करते हैं उसकी रोकथाम हो। इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कर सकती थी। जब मैं यहां आई थी तो दिल्ली में सिर्फ एक अफसर था जो इस काम के पीछे लगा रहा करता था। मैंने इन अफसरों की तादाद काफी बढ़ायी ताकि इस काम पर ज्यादा तवज्जह दी जाय। लोगों से मैंने मिन्नत भी की, मैंने मीटिंग्स भी की, लेकिन बदनीयतदारी को दूर करना कोई आसान काम नहीं। उसके बाद जब भी मेरे हाथों में यह ताकत आई कि मैं एक बिल इस हाउस के सामने रखूं तो मैंने फूड एडल्टरेशन बिल इस घर के सामने रखा। वह इस हाउस के सामने आया। उसके लिये एक सिलेक्ट कमेटी बैठी और अब वह बिल आप लोगों की तवज्जह के लिये तैयार है। यह मेरी बदकिस्मती है कि चूंकि इतने काम और यहां रहते हैं इसलिये यह बिल हाउस के सामने नहीं आ सका। मैं इस बारे में लड़ती हूं और मैंने आप लोगों से भी विनती की कि आप मेरा साथ दें इस बात में कि यह बिल जल्दी से जल्दी घर के सामने आये और पास हो जाये। लेकिन आज तक यह बिल आ नहीं सका। इस बार भी मैंने पार्लियामेंटरी एफेअर्स के मिनिस्टर साहब से कहा तो उन्होंने बतलाया कि चूंकि बिजनेस ज्यादा है और लोग इस पर बोलने के लिये तीन रोज चाहते हैं इसलिये इसको अगले सेशन के शुरू में ही घर के सामने पेश कर दिया जायेगा।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि): यह बिल ज्यादा जरूरी नहीं समझा जाता।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं इसको बहुत जरूरी समझती हूं। मैंने सुबह से लेकर शाम तक बैठ बैठ कर इस बिल को सिलेक्ट कमेटी में पांच रोज में पास करवाया इसलिये कि यह जल्द से जल्द पास हो जाय। लेकिन यह हाउस के सामने नहीं आ सका इसका कुसूर मैं अपने ऊपर नहीं लेती हूं। आप को भी इसके बारे में मालूम था और अगर आप लोग दिलचस्पी लेते और आन्दोलन करते कि सरकार इसको जल्दी से जल्दी हाउस के सामने लाये तो यह जरूर आता। लेकिन अब आप लोग मेरे ऊपर कुसूर डालते हैं, तो मैं कहती हूं कि इसमें मेरा कोई कुसूर नहीं है। साल भर से यह बिल तैयार है कि यह घर इस पर गौर करे।

[राजकुमारी अमृतकौर]

मैं आप से कहना चाहती हूं कि जो बिल आनरेबल मेम्बर ने पेश किया है वह काफी नहीं है । जिस मकसद पर वह पहुंचना चाहते हैं और जिस मकसद पर मैं भी पहुंचना चाहती हूं उसके लिये उनका बिल काफी नहीं । तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जो उन्होंने इस मसले पर इस घर की तवज्जह दिलाई है उसमें मैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूं । मैं मानती हूं कि सरकार को इसके लिये कुछ न कुछ करना चाहिये और जल्दी से जल्दी करना चाहिये । मैं फिर उनसे कहूंगी कि जो उनका बिल है उसको मैं बहुत "इनएडीक्वेट" समझती हूं । मसलन उसमें फूड और एडल्टरेशन के स्टैंडर्ड्स रखे नहीं हैं । मेरा बिल काफी डिटेल में गया हुआ है और बहुत मुफीद होगा । अगर यह जल्दी से जल्दी हाउस के सामने आ जाय और पास हो जाय तो मैं बहुत खुश होऊंगी । मैं कहना चाहती हूं कि मैं हमेशा स्टेट गवर्नमेंट्स को और दिल्ली गवर्नमेंट को जिस के बारे में आनरेबल मेम्बर ने बहुत कुछ कहा, कहती रहती हूं कि वह इस बारे में सावधान रहें और जहां तक हो सके एडल्टरेशन बन्द करने की कोशिश करें । इसलिये मैं आनरेबल मेम्बर से निवेदन करूंगी कि वह अपने बिल को वापिस ले लें और जल्दी से जल्दी मैं अपने बिल को इस घर के सामने लाने की कोशिश करूंगी ।

Mr. Chairman: There are two courses open. As the hon. Minister has just suggested, the hon. Member may withdraw his Bill. Or, there may be a motion before the House that a debate on this Bill be adjourned to the next session, because in the next session, the other Bill is likely to come up. A Select Committee was constituted for the other Bill and had...

Rajkumari Amrit Kaur: The Select Committee has already reported.

Mr. Chairman: I know that. As I said, there are two courses open. As the hon. Minister has just now suggested, the hon. Member may withdraw the Bill. Or if he wants to get on with his Bill because in case the Government Bill does not come up in the next session, he may proceed with his Bill. Either course is open to him. A desire has been expressed on behalf of the Minister to the effect that the consideration of the Bill be postponed to the next session. I do not know if the hon. Minister would like to move that.

Rajkumari Amrit Kaur: I have pleaded with the hon. Member to withdraw his Bill in view of the fact that the Select Committee has reported and a comprehensive measure is before the House ready to come up.

Sardar A. S. Saigal (Bilaspur): I think it will be best if this Bill be adjourned to the next session. I beg to move:

> "That the debate on the Bill be adjourned to some non-official day during the next session."

Shri Heda (Nizamabad): My humble submission is this. This Bill has come before the House and there are several other aspects of the problem that need to be discussed. It is not only a question of health; there are questions of marketing, production, and all round development of the country. It is good that we discuss this Bill for some time more and then, it may be adjourned to the next session.

Mr. Chairman: Since there is a motion for adjournment of the Bill, I will put the motion to the House. The question is:

> "The debate on the Bill be adjourned to some non-official day during the next session."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: It is the same Bill on which the discussion has been adjourned.

Shrimati Uma Nehru (Sitapur Distt. cum Kheri Distt.—West): Yes.

श्री सिंहासन सिंह : (जिला गोरखपुर—दक्षिण) : सभापति जी, इस सदन में कोई मंत्रिगण मौजूद नहीं हैं । गवर्नमेंट बेंचेज पर कोई नहीं हैं ।

Some Hon. Members: Government Benches are empty.

Mr. Chairman: If the Government Benches are empty, we cannot help it, but at the same time we are all responsible Members of Parliament. It is our duty and business to go on with the work of Parliament.

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): I am back in my seat.

Mr. Chairman: Mr. C. R. Narasimhan. Absent. Shrimati Maniben Patel.

WOMEN'S AND CHILDREN'S INSTITUTIONS LICENSING BILL

Shrimati Maniben Patel (Kaira South): I beg to move:

> "That the Bill to regulate and licence institutions caring for women and children, be taken into consideration."

चेयरमैन साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो एक बिल एडजार्न किया गया था उसके साथ इस बिल का भी काफी सम्बन्ध हैं । उसमें बतलाया गया था कि किस तरह से स्त्रियों और बच्चों से नाजायज काम करा रहे हैं और मेरा बिल जो हैं वह उन संस्थाओं को ठीक से रंगुलेट करना चाहता हैं और लाइसेंस करना चाहता हैं जो बच्चों और स्त्रियों की देखभाल करते हैं । मैं जानती हूं कि आज यह संस्थाएं अनाथालय और विधवा आश्रम किस प्रकार चल रहे हैं और मैं आपको बतलाऊं कि कुछ अनाथालयों में बच्चों को बेचने का पेशा चलता हैं । विधवा आश्रमों में भी यह गड़बड़ चलती हैं । किसी बेचारे भले आदमी ने विधवा आश्रम के हेतु ताकि बाल विधवाओं की रक्षा भली प्रकार की जाय इस अच्छे काम के लिये रूपया दान में दिया, परन्तु उस संस्था के संचालक महाराज बड़े उस्ताद थे उन्होंने बाल विधवा की शादी जिससे करवाई उससे पैसा ले लिया और थोड़े दिन बाद उस लड़की को उस आदमी के पास से भगा कर ले आए, तो मेरे कहने का मतलब यह हैं कि इस तरह की जो सामाजिक संस्थाएं चलती हैं उन पर सरकार की निगाह रहनी चाहिये और हर कोई आदमी इस तरह से इन संस्थाओं को मनमाने ढंग से न चला सके, जो संस्था इस तरह की चलावे, उसको सरकार से कुछ लाइसेंस लेना पड़े और उसके ऊपर कुछ रूकावट हो और जो संस्थाएं ठीक से नहीं काम करती हैं उन पर सरकार इस कानून के मातहत कुछ रोक लगा सके । आज के दिन इन बाल अनाथालय और विधवा आश्रमों की दशा बड़ी दयाजनक हैं और बजाय उनकी रक्षा करने और ठीक से देखभाल करने के ये संस्थाएं उनका अनुचित लाभ उठा रही हैं और उनको एक व्यापार का साधन बना रक्खा हैं । इसीलिये हम लोग इसे बहुत आवश्यक समझते हैं कि सरकार इन संस्थाओं पर कुछ नियंत्रण रक्खे और लाइसेंस आदि देने की व्यवस्था करे तो हम आज जो यह बच्चों और स्त्रियों को लेकर ये संस्थाएं व्यापार कर रही हैं और लाभ उठा रही हैं उसको रोकने में कामयाब हो सकेंगे । इसी मंशा से मैं यह बिल इस हाउस के सामने पेश करती हूं और आशा करती हूं कि सरकार इस पर सोचेगी और अगर उसके द्वारा एक केन्द्रीय लेजिस्लेशन आता हैं तो यह जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बच्चों और हमारी बहिनों को उठा कर ले जाते हैं, उसको हम रोक सकने में समर्थ हो सकेंगे । इसलिये मैं यह बिल हाउस के सामने रखती हूं ।

Mr. Chairman: Motion moved:

> "That the Bill to regulate and licence institutions caring for women and children, be taken into consideration."

पंडित डी० एन० मालवीय (रायसेन): सभापति जी, अभी जो बिल इस हाउस के सामने पेश किया गया हैं, मुझे हैरत हैं कि आजादी के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी आज हमारी बहिनों को इस बात का अन्दोलन करना पड़ रहा हैं कि हिन्दुस्तान से इस किस्म की लानत